

OFFICE OF THE DISTRICT COMMANDANT
HOME GUARD & DISTRICT FIRE OFFICER
RAJGAMAR ROAD, KORBA (C. G.)

कार्यालय, जिला सेनानी, नगर सेना एवं जिला अग्निशमन अधिकारी
जिला कोरबा (छ0ग0)

पृ0क0 / 973 / फायर सर्विस / 2020
प्रति

कोरबा

दिनांक / 26 / 06 / 2020

प्रींसिपल,
डी.ए.वी. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल, खरमोरा,
जिला कोरबा छ0ग0।

विषय :- अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु स्कूल निरीक्षण रिपोर्ट बावत।

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 25.06.2020 को श्री माइकल सेन्टियागो कनिष्ठ तकनीकी अग्निशमन अधिकारी के द्वारा डी.ए.वी. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल खरमोरा के प्रींसिपल के साथ स्थल निरीक्षण किया गया। होज रील, होस बाक्स, फायर टैंक एवं पर्याप्त मात्रा में फायर एस्टींग्यूयर लगाने की सलाह दी जाती है।

अतः उपरोक्तानुसार पूर्ति पालन कर जिला फायर ऑफिसर नगर सेना अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, रजगामार रोड कोरबा सूचित करने का कष्ट करें ताकि अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नवीनीकरण की प्रक्रिया की जा सके।


(पी.बी. सिदार)
जिला सेनानी
नगर सेना / अग्निशमन
जिला-कोरबा (छ0ग0)

कार्यालय, जिला सेनानी, नगर सेना, अग्निशमन कोरबा (छ0ग0)

पृ0क0 / 972 / फायर सर्विस / 2020

कोरबा

दिनांक / 26 / 06 / 2020

—: प्रमाण पत्र :—

प्रमाणित किया जाता है कि, डी.ए.वी. मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल खरमोरा, जिला कोरबा, (छ0ग0), का इस विभाग के श्री माईकल सेंटीयागो, कनिष्ठ तकनिकी अग्निशमन अधिकारी द्वारा स्कूल के प्रींसिपल की उपस्थिति में दिनांक 25.06.2020 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV के अनुसार अग्नि की रोकथाम एवं सुरक्षा की आवश्यकता संबंधी निरीक्षण किया गया। निम्न शर्तों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी दिनांक से 02 माह की अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

- 01- सभी अग्नि सुरक्षा एवं निकास द्वार हमेशा अच्छी एवं चालू हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार के चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- 02- अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य निर्माण कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जाएगा।
- 03- अग्निशमन प्रणाली / उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जावे एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का मॉक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बनाकर रखा जाये।
- 04- बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बॉय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
- 05- मकान मालिक / कब्जाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम व सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुन निरीक्षण योग्य होंगे।

जारी दिनांक 26/06/2020

(पी.बी. सिदार)

जिला सेनानी

नगर सेना / अग्निशमन
जिला-कोरबा (छ0ग0)

